CW-7722/15 (21)

लोकपाल कार्यालय, (मनरेगा)
लखीसराय।

मोबाईल नं0 :– 9835856475
ई–मेल : lalmohanpdsinha@gmail.com

Comm Manrega

पत्रांक 02 /लो0, दिनांक 06.01.2015

प्रेषक,

लोकपाल, मनरेगा,
लखीसराय।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– वार्षिक कार्य प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के संबंध में।

OSD Only Ngrw

महाशय,

लोकपाल (मनरेगा) लखीसराय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में कृत कार्रवाई का वार्षिक प्रतिवेदन श्रीमान् को समर्पित किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार कर अनुगृहित करने की कृपा करना चाहेंगे।

आयुक्त मनरेगा का कार्यालय ग्रामीण विकास विभाग

विश्वासभाजन,
6/1/15
लोकपाल, मनरेगा,
लखीसराय।

20/1/1
13/1/15

D:\DDC\DRDA\Locpal\Letter_All.docx

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, लखीसराय।

जिला का नाम :–लखीसराय

वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष :– 2014–15

क्र0	आवेदक का नाम/पता	आवेदन का विषय	सुनवाई कर निष्पान का संक्षिप्त विवरणी	मनरेगा पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रताप विंद, पिता–अम्बिका विंद एवं अन्य, ग्राम–मानपुर, पंचायत–मलिया, थाना–चानन, जिला–लखीसराय।	आवेदक को वनपोषक नियुक्ति किया गया। वृक्ष का देखभाल कर रहा है। मजदूरी भुगतान नहीं किया गया था, आरोप।	सुनवाई एवं जाँच के पश्चात यह पाया गया कि आवेदक के व्यक्तिगत जमीन पर वृक्षारोपण करवाया है। कुल 185 पौधों आवेदक के देखभाल में सही स्थित में है।	कार्यक्रम पदाधिकारी को आवश्यक मजदूरी भुगतान करवाने का आदेश दिया गया।	
2	बाल्मीकि सिंह, आमोद सिंह, ग्राम–मोहिया, पंचायत–कैंदी, प्रखंड–हलसी, जिला–लखीसराय।	जॉब–कार्डधारियों के नाम पर फर्जी निकासी किये जाने एवं याजना कार्य नहीं कराने का आरोप।	सुनवाई एवं जाँचोंपरांत मामला सत्य पाया गया।	मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक के विरूद्व दण्डात्मक कार्रवाई का निदेश दिया गया।	
3	सुनील सिंह, ग्राम–सलेमपुर, सूर्यगढ़ा।	योजना राशि का बिना कार्य कराये लूट किये जाने के समाचार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित।	सुनवाई किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि पंचायत समिति में योजना चयनित किये जाने के कारण योजना रद्द कर दी गयी। अतः न तो कार्य कराया गया और ना ही राशि व्यय की गयी।	किसी मनरेगा कर्मी द्वारा अनियमितता नहीं बरती गयी। अतः मामला संचिकास्त किया गया।	
4	रामोतार यादव व बबलू यादव, ग्राम–राहटपुर, पंचायत–सैदपुरा, प्रखंड पिपरिया, जिला–लखीसराय।	मनरेगा की योजना एवं मजदूरी में लूट किये जाने के संबंध में शिकायत।	मामला सुनवाई के अधीन है।		
5	सुबोध पंडित, गरसंडा	मजदूरी भुगतान नही किये जाने के संबंध में।	कार्यक्रम पदाधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की गयी है।	प्रतिवेदन अप्राप्त।	

6/1/2015

लोकपाल, मनरेगा,
लखीसराय।

D:\Locpal\Report_

50

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, लखीसराय।

जिला का नाम :–लखीसराय

वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष :– 2013–14

क्र0	आवेदक का नाम/पता	आवेदन का विषय	सुनवाई कर निष्पान का संक्षिप्त विवरणी	मनरेगा पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	रजनीश कुमार, पिता–रामानुज सिंह, ग्राम–बभवगॉवा, पंचायत–अमहरा।	काडा विभाग द्वारा मनरेगा की योजना कार्य कराया गया, जिसमें धांधली की गयी।	स्थल जॉच किया गया, अनियमितता पायी गयी, सुनवाई किया गया पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जॉच कार्य में सहयोग नहीं किया गया तथा अभिलेख छिपाया गया।	स्वतंत्र जॉच एजेंसी अथवा जिला स्तर के अधिकारी से जॉच कराने की अनुशंसा किया गया।	
2	मंजू देवी, उप मुखिया–सह–प्रभारी मुखिया, ग्राम पंचायत राज, पिपरिया प्रखंड पिपरिया, जिला–लखीसराय।	मुखिया द्वारा वृक्षारोपण में लूट–खसोट किया गया का आरोप।	कार्यक्रम पदाधिकारी से प्रतिवेदन मॉगा गया। प्रतिवेदन मं बताया गया कि उक्त पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं चलाया गया।	वाद को संचिकास्त किया गया।	
3	विरेन्द्र मिस्त्री, सुदामा देवी एवं अन्य पिता अंकित नहीं, ग्राम पंचायत–कैंदी, प्रखंड–हलसी, जिला–लखीसराय।	पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बिना कार्य कराये राशि निकासी करने का आरोप।	जॉचोपरांत आरोप सत्य पाया गया तथा मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को निश्चित अवधि के अंदर कार्य कराने का निदेश दिया गया। अन्यथा कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक के विरूद्व दण्डात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया।	निश्चित समयावधि के अंदर योजना कार्य कराने का निदेश दिया गया, अन्यथा दण्डात्मक एवं विभागीय कार्रवाई का निदेश जिला अधिकारी को दिया। परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी।	

4	रजनीश कुमार, पिता–रामानुज सिंह, ग्राम–बभवगॉवा, पंचायत–अमहरा, प्रखंड+जिला–लखीसराय।	पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया द्वारा फर्जी जॉबकार्ड के आधार पर लाखो रू0 की निकासी का आरोप।	कार्यक्रम पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार सेवक से प्रतिवेदन माँगा गया।	प्रतिवेदन अप्राप्त।	
5	दैनिक जागरण समाचार पत्र के आलोक में बिना कार्य कराये राशि निकासी करने के आरोप पर संज्ञान लिया गया।	अलीनगर पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बिना कार्य कराये राशि निकासी का आरोप।	कार्यक्रम पदाधिकारी को जाँच कार्य दिया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में दिया गया कि राशि की निकासी नहीं की गयी है, बल्की दो वर्षो से कार्य बंद होने के कारण ग्रामीणों ने संदेह पर यह आरोप लगाया गया है।	कार्यक्रम पदाधिकारी को कार्य पूर्ण करवाकर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। कार्यपूर्णता प्रतिवेदन अप्राप्त।	
6	बिल्लो पंचायत के कारू मांझी सहित अन्य ग्रामीण।	पंचायत रोजगार सेवक एवं अन्य कर्मी पर यह आरोप लगाया गया कि जॉबकार्ड एवं मजदूरी नहीं दिया गया।	सुनवाई कर कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जॉब–कार्डधारियों की मजदूरी एवं जॉबकार्ड दिखाऐं।	मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा सभी मजदूरों का जॉबकार्ड वापस किया गया तथा उनकी मजदूरी भी दिलवाई गयी।	
7	अजय कुमार	रामचन्द्रपुर पंचायत में मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा वृक्षारोपण में एवं तालाब निर्माण में धांधली का आरोप।	सुनवाई एवं जॉचोंपरांत पाया गया कि वृक्षारोपण तो किया गया, लेकिन पोखर निर्माण नहीं किया गया साथ ही पोखर निर्माण कराये बिना राशि निकाले जाने का प्रयास किया गया।	अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के राशि भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया।	

6/1/15

लोकपाल, मनरेगा,
लखीसराय।